



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253981
CG-DL-E-30042024-253981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2024/वैशाख 10, 1946

No. 247]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2024/VAISAKHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

संख्या 33 /2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 268(अ).— सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 77/2023-सीमा शुल्क (गै.टै.) जिसे सा.का.नि. 792(अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

(i) टिप्पणियों और शर्तों में, पैराग्राफ 13 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ अन्तःस्थापित किया गया है, -

"(13क) अध्याय 52 में जहां भी "काउंट" शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ "न्यू इंग्लिश (एनई) "काउंट" होगा।

(II) अनुसूची में, -

अध्याय-3 के लिए, निम्नलिखित अध्याय प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“अध्याय - 3				
मछली और क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकीय जीव				
0301	जीवित मछली	किलोग्राम	4%	12.2
0302	मछली, ताजी या द्रुतशीतित, मछली के टुकड़े और शीर्षक 0304 की अन्य मछली के मांस को छोड़कर			
030201	द्रुतशीतित रूप में	किलोग्राम	4%	27.9
030299	अन्य		0.15%	
0303	मछली, जमी हुई, शीर्षक 0304 की मछली के टुकड़े और अन्य मछली के मांस को छोड़कर	किलोग्राम	4%	24.2
0304	मछली का टुकड़ा और ताजा, द्रुतशीतित या जमा हुआ अन्य मछली का मांस (चाहे कीमा बनाया हुआ हो या नहीं),			
030401	द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में	किलोग्राम	4%	39.3
030402	सुरीमी मछली का पेस्ट	किलोग्राम	4%	10.8
030499	अन्य		0.15%	
0305	मछली, सूखी, नमकीन या लवणीय जल युक्त; स्मोकड मछली, चाहे स्मोकिंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाया गया हो या नहीं		0.15%	
0306	जीवित, ताजा, द्रुतशीतित, जमे हुए, सूखे, नमकीन या लवणीय जल युक्त क्रस्टेशियंस, चाहे खोल में हों या नहीं; स्मोकड क्रस्टेशियंस, चाहे खोल में हों या नहीं, चाहे स्मोकिंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाया गया हो या नहीं; क्रस्टेशियंस, खोल में, भाप से या पानी में उबालकर पकाया जाता है, चाहे द्रुतशीतित, जमे हुए, सूखा हुआ, नमकीन या लवणीय जल युक्त हो या नहीं			
030601	एक्सेलेरेटेड फ्रीज़ ड्राइड (एएफडी) को छोड़कर जमे हुए रूप में झींगा मछली/झींगा	किलोग्राम	3.5%	30.8
030602	एक्सेलेरेटेड फ्रीज़ ड्राइड (एएफडी) झींगा मछली/झींगा	किलोग्राम	2.9%	123.8
030603	समुद्री झींगा मछली/केकड़ा	किलोग्राम	4.4%	74.6
030604	पाश्र्वरीकृत डिब्बाबंद द्रुतशीतित केकड़ा मांस	किलोग्राम	4.5%	201
030605	अन्य द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में	किलोग्राम	4.4%	46.3
030699	अन्य		0.15%	
0307	जीवित, ताजा, द्रुतशीतित, जमे हुए, सूखे, नमकीन या लवणीय जल युक्त मोलस्क, चाहे खोल में हों या नहीं; स्मोकड मोलस्क, चाहे खोल में हों या नहीं, स्मोकिंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाया गया हो या नहीं			
030701	द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में	किलोग्राम	4.5%	29.5
030799	अन्य		0.15%	
0308	क्रस्टेशियंस और मोलस्क को छोड़कर जीवित, ताजा, द्रुतशीतित, जमे हुए, सूखे, नमकीन या लवणीय जल युक्त जलीय अकशेरुकी जीव; क्रस्टेशियंस और मोलस्क को			

	छोड़कर स्मोकड जलीय अकशेरुकी जीव, चाहे स्मोकिंग प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाया गया हो या नहीं			
030801	द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में	किलोग्राम	4.5%	24.2
030899	अन्य		0.15%	
0309	मानव उपभोग के लिए उपयुक्त मछली, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकीय जीव जीवों का आटा, भोजन और गोलियां			
030901	द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में	किलोग्राम	2.9%	24.2
030999	अन्य		0.15%";	

(ii) अध्याय-16 के लिए, निम्नलिखित अध्याय प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"अध्याय-16				
मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीव के उत्पाद				
1601	मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़ों से बने सॉसेज और इसी तरह के उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य उत्पाद		0.15%	
1602	अन्य उत्पाद या संरक्षित मांस, मांस के अवशेष रक्त या कीड़े		0.15%	
1603	मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीव के अर्क और रस			
160301	द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में मछली या क्रस्टेशियंस	किलोग्राम	4%	46.3
160399	अन्य		0.15%	
1604	मछली के अंडे से तैयार या संरक्षित मछली, कैवियार और कैवियार के विकल्प			
160401	सुरीमी सदृश्य उत्पाद	किलोग्राम	4%	12.4
160499	अन्य		0.15%	
1605	तैयार या संरक्षित क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी जीव			
160501	एक्सेलेरेटेड फ्रीज़ ड्राइड (एएफडी) को छोड़कर जमे हुए रूप में झींगा मछली/झींगा			
16050101	ब्रेडेड झींगा मछली/झींगा	किलोग्राम	3.5%	23.6
16050199	अन्य	किलोग्राम	3.5%	23.6
160502	एक्सेलेरेटेड फ्रीज़ ड्राइड (एएफडी) झींगा मछली/झींगा	किलोग्राम	2.9%	91
160503	समुद्री झींगा मछली/केकड़ा	किलोग्राम	4.4%	82.2
160504	पाश्चुरीकृत डिब्बाबंद द्रुतशीतित केकड़ा मांस	किलोग्राम	4.5%	201
160505	अन्य द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में			
16050501	ब्रेडेड स्क्रिड	किलोग्राम	4.3%	53.6
16050599	अन्य द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में	किलोग्राम	4.3%	53.6
160599	अन्य		0.15%";	

(iii) अध्याय-42- में,

(क) टैरिफ मद 42020103 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "74.9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 42020201 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "251.2" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 42020204 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "144.7" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) टैरिफ मद 42020301 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "78.9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ङ) टैरिफ मद 42020402 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "33.7" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(च) टैरिफ मद 420303 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में प्रविष्टियों के लिए, शब्दों "चमड़े से बने गोल्फ के दस्ताने" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में प्रविष्टियों के लिए, शब्द "टुकड़ा" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) टैरिफ मद 420304 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में प्रविष्टियों के लिए, शब्दों "कपड़ा सामग्री के संयोजन में चमड़े से बने गोल्फ के दस्ताने" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, शब्द "टुकड़ा" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) कॉलम (5) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "14.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ज) टैरिफ मद 420310 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "36.7" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(झ) टैरिफ मद 420310 के पश्चात और टैरिफ मद 420399 से पहले तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"420311	गोल्फ के दस्तानों को छोड़कर चमड़े से बने खेल के दस्ताने	जोड़ा	3.6%	14.5
420312	गोल्फ के दस्तानों को छोड़कर कपड़ा सामग्री के साथ संयोजन में चमड़े से बने खेल के दस्ताने	जोड़ा	3.6%	14.5";

(iv) अध्याय-63 में, -

(क) टैरिफ मद 630201 के समक्ष, -

(i) कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "3%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) कॉलम (5) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "68.9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 630202 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "2.6%" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) अध्याय -72 में, -

(क) टैरिफ मद 7218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7218	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में स्टेनलेस स्टील; स्टेनलेस स्टील के अर्द्ध-तैयार उत्पाद			
721801	कम से कम 12% क्रोमियम, 7% निकेल और 2% मोलिब्डेनम युक्त	किलोग्राम	3.1%	39
721899	अन्य		1.5%";	

(ख) टैरिफ मद 7222 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7222	स्टेनलेस स्टील की अन्य बार और छड़ें; स्टेनलेस स्टील के कोण, आकार और भाग			
722201	कम से कम 18% निकेल, 2% मोलिब्डेनम और 1% टाइटेनियम युक्त	किलोग्राम	2.1%	28
722299	अन्य		1.5%";	

(ग) टैरिफ मद 722801 के पश्चात और टैरिफ मद 722899 से पहले तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"722802	मिश्र धातु इस्पात का, जिसमें कम से कम 28% निकेल और 16% कोबाल्ट हो	किलोग्राम	2.1%	35
722803	मिश्र धातु इस्पात, जिसमें कम से कम 17% निकेल, 4% मोलिब्डेनम और 7% कोबाल्ट हो	किलोग्राम	2.3%	70";

(vi) अध्याय-75 में,-

(क) टैरिफ मद 7502 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7502	कच्चा निकेल			
750201	कम से कम 20% क्रोमियम, 8% मोलिब्डेनम और 1% कोबाल्ट युक्त	किलोग्राम	2.4%	78
750299	अन्य		0.15%";	

(ख) टैरिफ मद 7505 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7505	निकेल बार, छड़ें, प्रोफाइल और तार			
750501	कम से कम 18% क्रोमियम और 3% मोलिब्डेनम युक्त		1.3%	
750599	अन्य		0.15%";	

(vii) अध्याय-81 में,-

(क) टैरिफ मद 8108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8108	टाइटेनियम और उससे बनी वस्तुएं, जिनमें अपशिष्ट और स्कैप भी शामिल हैं			
810801	कम से कम 78% टाइटेनियम युक्त		1.6%	
810899	अन्य		1.2%";	

(viii) अध्याय -85 में, -

(क) टैरिफ मद 8526 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1.3%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ix) अध्याय-87 में, टैरिफ मद 8710 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8710	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, मोटर चालित, चाहे वे हथियारों से सुसज्जित हों या नहीं, और ऐसे वाहनों के पुर्जे			
871001	खदान संरक्षित वाहन		1.6%	
871099	अन्य		0.5%";	

(x) अध्याय-88 में,-

(क) टैरिफ मद 8806 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1.7%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 8807 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8807	शीर्षक 8801, 8802 या 8806 की वस्तुओं के पुर्जे			
880701	विमान/अंतरिक्ष यान के लिए जिम्बल कंपास		7.6%	
880702	विमान/अंतरिक्ष यान के लिए ऑप्टिकल बेंच असेंबली		10.2%	
880703	एमआई-17 हेलीकॉप्टर के लिए बुर्ज		8.3%	
880799	अन्य		1.7%";	

(xi) अध्याय -93 में, -

(क) टैरिफ मद 9301 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9301	सैन्य हथियार, रिवाल्वर, पिस्तौल और शीर्षक 9307 के हथियार को छोड़कर			
930101	टोड आर्टिलरी गन सिस्टम		1%	
930102	वाहन पर लगे आर्टिलरी गन सिस्टम		3%	
930103	मल्टी बैरल रॉकेट लांचर		1%	
930199	अन्य		0.5%";	

(ख) टैरिफ मद 930601 के पश्चात और टैरिफ मद 9307 से पहले तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"930602	मिसाइल		0.7%	
930699	अन्य		0.5%";	

2. यह अधिसूचना 3 मई, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 605/13/2023-डीबीके]

कपिल प्रजापति, अवर सचिव

नोट :- प्रधान अधिसूचना सं 77/2023-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को सा.का.नि. 792 (अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30 April, 2024

No. 33/2024-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 268(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 77/2023-Customs (N.T.), dated the 20th October, 2023 published *vide* number G.S.R. 792 (E), dated the 20th October, 2023, namely :-

In the said notification, -

(I) in the Notes and conditions, after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“(13A) The term “counts” wherever used in Chapter 52 shall mean “counts in New English (Ne)”:

(II) in the Schedule, -

(i) for Chapter-3, the following Chapter shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“CHAPTER-3				
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES				
0301	Live fish	Kg	4%	12.2
0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304			
030201	In chilled form	Kg	4%	27.9
030299	Others		0.15%	
0303	Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304	Kg	4%	24.2
0304	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen			
030401	In chilled or frozen form	Kg	4%	39.3
030402	Surimi fish paste	Kg	4%	10.8
030499	Others		0.15%	
0305	Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process		0.15%	
0306	Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine			
030601	Shrimp/prawn in frozen form other than Accelerated Freeze Dried (AFD)	Kg	3.5%	30.8
030602	Accelerated Freeze Dried (AFD) shrimp / prawn	Kg	2.9%	123.8
030603	Lobster / Crab	Kg	4.4%	74.6
030604	Pasteurised tinned chilled crab meat	Kg	4.5%	201
030605	Others in chilled or frozen form	Kg	4.4%	46.3
030699	Others		0.15%	
0307	Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process			
030701	In chilled or frozen form	Kg	4.5%	29.5
030799	Others		0.15%	
0308	Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process			
030801	In chilled or frozen form	Kg	4.5%	24.2

030899	Others		0.15%	
0309	Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption			
030901	In chilled or frozen form	Kg	2.9%	24.2
030999	Others		0.15%";	

(ii) for Chapter – 16, the following Chapter shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“CHAPTER-16				
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES				
1601	Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products		0.15%	
1602	Other prepared or preserved meat, meat offal blood or insects		0.15%	
1603	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates			
160301	Of fish or crustaceans in chilled or frozen form	Kg	4%	46.3
160399	Others		0.15%	
1604	Prepared or preserved fish, caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs			
160401	Surimi analogue product	Kg	4%	12.4
160499	Others		0.15%	
1605	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved			
160501	Shrimp/prawn in frozen form other than Accelerated Freeze Dried (AFD)			
16050101	Breaded shrimp/prawn	Kg	3.5%	23.6
16050199	Others	Kg	3.5%	23.6
160502	Accelerated Freeze Dried (AFD) shrimp / prawn	Kg	2.9%	91
160503	Lobster / Crab	Kg	4.4%	82.2
160504	Pasteurised tinned chilled crab meat	Kg	4.5%	201
160505	Others in chilled or frozen form			
16050501	Breaded Squids	Kg	4.3%	53.6
16050599	Others in chilled or frozen form	Kg	4.3%	53.6
160599	Others		0.15%";	

(iii) in Chapter-42-,

(a) against tariff item 42020103, for the entry in column (5), the entry “74.9” shall be substituted;

- (b) against tariff item 42020201, for the entry in column (5), the entry “251.2” shall be substituted;
- (c) against tariff item 42020204, for the entry in column (5), the entry “144.7” shall be substituted;
- (d) against tariff item 42020301, for the entry in column (5), the entry “78.9” shall be substituted;
- (e) against tariff item 42020402, for the entry in column (5), the entry “33.7” shall be substituted;
- (f) against tariff item 420303, -
- (i) for the entries in column (2), the words “Golf Gloves made of leather” shall be substituted;
- (ii) for the entries in column (3), the word “Piece” shall be substituted;
- (g) against tariff item 420304, -
- (i) for the entries in column (2), the words “Golf Gloves made of leather in combination with textile materials” shall be substituted;
- (ii) for the entry in column (3), the word “Piece” shall be substituted;
- (iii) for the entry in column (5), the entry “14.5” shall be substituted;
- (h) against tariff item 420310, for the entry in column (5), the entry “36.7” shall be substituted;
- (i) after tariff item 420310 and before tariff item 420399 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“420311	Sports gloves, other than Golf gloves, made of leather	Pair	3.6%	14.5
420312	Sports gloves, other than Golf gloves, made of leather in combination with textile materials	Pair	3.6%	14.5”;

(iv) in Chapter-63, -

- (a) against tariff item 630201, -
- (j) for the entry in column (4), the entry “3%” shall be substituted;
- (ii) for the entry in column (5), the entry “68.9” shall be substituted;
- (b) against tariff item 630202, for the entry in column (4) “2.6%” shall be substituted;
- (v) in Chapter -72, -

- (a) for tariff item 7218 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7218	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel			
721801	Containing at least 12% chromium, 7% nickel and 2% molybdenum	Kg	3.1%	39
721899	Others		1.5%”;	

- (b) for tariff item 7222 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7222	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel			
722201	Containing at least 18% nickel, 2% molybdenum and 1% titanium	Kg	2.1%	28
722299	Others		1.5%”;	

- (c) after tariff item 722801 and before tariff item 722899 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“722802	Of alloy steel, containing at least 28% nickel and 16% cobalt	Kg	2.1%	35
722803	Of alloy steel, containing at least 17% nickel, 4% molybdenum and 7% cobalt	Kg	2.3%	70”;

- (vi) in Chapter -75, -

- (a) for tariff item 7502 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7502	Unwrought nickel			
750201	Containing at least 20% chromium, 8% molybdenum and 1% cobalt	Kg	2.4%	78
750299	Others		0.15%”;	

- (b) for tariff item 7505 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7505	Nickel bars, rods, profiles and wire			
750501	Containing at least 18% chromium and 3% molybdenum		1.3%	
750599	Others		0.15%”;	

- (vii) in Chapter -81, -

- (a) for tariff item 8108 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8108	Titanium and articles thereof, including waste and scrap			
810801	Containing at least 78% titanium		1.6%	
810899	Others		1.2%”;	

- (viii) in Chapter -85, -

- (a) against tariff item 8526, for the entry in column (4), the entry “1.3%” shall be substituted;

- (ix) in Chapter -87, for tariff item 8710 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles			
871001	Mine protected vehicle		1.6%	
871099	Others		0.5% “;	

- (x) in Chapter -88, -

- (a) against tariff item 8806, for the entry in column (4), the entry “1.7%” shall be substituted;

- (b) for tariff item 8807 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8807	Parts of goods of heading 8801, 8802 or 8806			
880701	Gimbal compass for aircraft/spacecraft		7.6%	
880702	Optical bench assembly for aircraft/spacecraft		10.2%	
880703	Turret for MI-17 helicopter		8.3%	
880799	Others		1.7%”;	

(xi) in Chapter -93, -

(a) for tariff item 9301 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9301	Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 9307			
930101	Towed artillery gun systems		1%	
930102	Vehicle mounted artillery gun system		3%	
930103	Multi- barrel rocket launchers		1%	
930199	Others		0.5%”;	

(b) after tariff item 930601 and before tariff item 9307 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“930602	Missile		0.7%	
930699	Others		0.5%”.	

2. This notification shall come into force on the 3rd day of May, 2024.

[F. No. 605/13/2023-DBK]

KAPIL PRAJAPATI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 77/2023- Customs (N. T.), dated the 20th October, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th October, 2023 *vide* number G.S.R 792 (E), dated the 20th October, 2023.